

Press Release

**परिवारों (हाउसहोल्ड्स) का  रैपिड सर्वेक्षण[[1]](#footnote-1) (अहमदाबाद)**

**(अप्रैल 10 से अप्रैल 22, 2020)**



हम यहाँ IIMA के वालंटियर्स द्वारा अहमदाबाद में कम आय वाले परिवारों की जरूरतों और परिस्थितियों का आँकलन करने के लिए किए गए एक सर्वेक्षण से परिणामों को रिपोर्ट कर रहे हैं। जिन परिणामों का विवरण यहाँ दिया गया है, वो 10 अप्रैल से 22 अप्रैल, 2020 के बीच लगभग 110[[2]](#footnote-2) घरों के साथ बातचीत से उभरे हैं। यह 24 मार्च से 9 अप्रैल 2020 के बीच 500 से अधिक घरों के साथ किए गए सर्वेक्षण पर अपडेट है, जिसके परिणाम यहां उपलब्ध हैं:

(<https://drive.google.com/file/d/1yJ7i8lleJ12cz09p2s0B68tDtGMYh8eA/view>)

हम सीधे सर्वेक्षण किए गए लोगों के अलावा व्यथित परिवारों द्वारा वॉलंटियर्स को किए गए कॉल को भी निष्कर्ष में शामिल कर रहे हैं। जैसे ही सर्वेक्षणों की संख्या बढ़ी, उत्तरदाताओं द्वारा कुछ वॉलंटियर्स के फोन नंबर पड़ोसियों, रिश्तेदारों, दोस्तों आदि के बीच प्रसारित किए गए। स्वयंसेवक प्रतिदिन 50+ कॉल का जवाब दे रहे हैं, खासकर जब से लॉकडाउन बढ़ाया गया है।

**सर्वेक्षित परिवारों के प्राथमिक व्यवसाय/प्रमुख आय स्रोत**

बस/वैन/ऑटो चालक, दैनिक मजदूरी कर्मचारी, प्लंबर, रिक्शा चालक, सब्ज़ी विक्रेता, आदि।

**आय:**

जैसा कि पहले बताया गया था, लगभग 76% परिवारों ने नियमित आय अर्जित नहीं करने की सूचना दी (अधिकांश अपनी पूरी आय खो चुके हैं या खो देंगे) (कुल सर्वेक्षित = 110)

* इस सर्वेक्षण में भी लोगों ने राशन, दूध, सब्जियां, प्रसाधन आदि जैसी मूलभूत वस्तुओं को खरीदने के साधन न होने की सूचना दी। अधिकांश परिवारों द्वारा भविष्य की आय, किराए, टेलीफोन और बिजली के बिल आदि का भुगतान न कर पाने के बारे में चिंता व्यक्त की।
* कई परिवारों ने बुनियादी खर्चों को पूरा करने के लिए कर्ज़ा ले लिया है

**भोजन की उपलब्धता:**

**60%** **उत्तरदाताओं ने कहा कि उनकी वर्तमान खाने की सप्लाई एक सप्ताह से भी कम समय तक चलेगी। यह लॉकडाउन के पहले दो हफ्तों में 44%** **थी**, **इस आँकड़े में तेज़ी से बढ़त हुई है।**

**अन्य उत्तरदाताओं ने निम्नलिखित की सूचना दी**[[3]](#footnote-3):**

* 1-2 हफ़्ते: 14%
* 2-4 हफ़्ते: 13%
* एक महीने से ज़्यादा/पर्याप्त/ अस्पष्ट प्रतिक्रियाएँ: 12%

(कुल सर्वेक्षित =98)

**सार्वजनिक वितरण प्रणाली** (**PDS)** **तक पहुंच:**

सर्वेक्षण में शामिल केवल 53% परिवारों ने कहा कि उन्होंने महीने के लिए राशन लिया है, हालांकि 80% से अधिक लोगों ने दावा किया कि उनके पास वर्तमान में रहने वाली जगह का ही राशन कार्ड है (कुल सर्वेक्षित= 110)। यह पहले दो महीनों के लिए रिपोर्ट किए गए 56% से थोड़ा कम है।

*जिन लोगों के पास राशन कार्ड थे*, *वे निम्नलिखित कारणों से उनका उपयोग करने में असमर्थ थे:*

* उनके आसपास के क्षेत्र में राशन की दुकानें बंद थीं, अनाज की कम आपूर्ति थी, या दुकानों पर बहुत भीड़ थी (10+ मामले)। कई लोगों को बाद की तारीख (कुछ दिनों या सप्ताह के बाद या 4 मई को) आने के लिए कहा गया।
	+ *"तीन बार दुकान पर गए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ"*
	+ *“जब पहुँचे राशन ख़त्म हो चुका था”*
	+ *“सप्लाई की कमी की वजह से इस समय राशन कार्ड उपयोगी नहीं है"*
	+ *"बहुत भीड़ होती है और कभी-कभी दुकानों पर राशन नहीं होता। वो हमें बार-बार वापस भेज देते हैं”*
* इस घोषणा के बावजूद कि एनएफएसए स्टांप ("सिक्का") के बिना ए.पी.एल कार्डधारकों को राशन प्राप्त करने की अनुमति होगी (13 अप्रैल 2020 से), 10 से अधिक परिवारों ने बताया कि उन्हें अभी भी इस कारण राशन नहीं दिया जा रहा है।
* अन्य लोगों ने बताया कि उनके पास या तो उस स्थान का कार्ड नहीं था जहाँ वे वर्तमान में रह रहे थे, उन्होंने अपना राशन कार्ड खो दिया था/ उनके पास केवल कार्ड की फोटोकॉपी थी, या कार्ड किसी और के नाम पर था, जो अब चल नहीं पाते या किसी और कारण से दुकान तक नहीं जा सकते।
* कुछ परिवारों ने बताया कि उन्हें नियमित से कम मात्रा प्राप्त हुई है
	+ *“मुझे 2 किलो राशन इकट्ठा करने के लिए 3 घंटे धूप में खड़ा रहना पड़ा, इतना राशन मेरे बच्चों के लिए काफी नहीं है"*
	+ *"हमें 5 किलो चावल, गेहुँ, 1 किलो चीनी मिली, अब सब ख़त्म हो गया है"*

**सीधी नकदी (कैश ट्रांसफर)**

* लगभग 46% ने जनधन खाता होने की सूचना दी। (कुल सर्वेक्षित = 96)
* जिन लोगों के पास खाता था, उनमें से लगभग 50% ने सरकार से अपने खातों में पैसे ट्रांसफर के बारे में जानकारी होने की सूचना दी। हालांकि कम, यह संख्या जो हमने पहले दो हफ्तों में पाया था उससे काफी अधिक है।

**अन्य माध्यमों से सहायता**

* लगभग 54% परिवारों में कम से कम एक बच्चा आंगनवाड़ी/सरकारी स्कूलों में जा रहा था (कुल सर्वेक्षित = 79)
* आँगनवाड़ी जाने वालों में, केवल 34% ने आंगनवाड़ी से खाने सहायता प्राप्त करने का दावा किया, जबकि पिछले दो हफ्तों में ये आँकड़ा 20% था
* लगभग 40% ने सर्वेक्षकों से लक्षणों, सावधानियों और हेल्पलाइन से संबंधित जानकारी मांगी (और यह उन्हें तुरंत प्रदान की गयी थी)। यह पिछले सर्वेक्षण से दोगुना है। (कुल सर्वेक्षित = 390)
* जिन सामुदायिक रसोइयों (कम्युनिटी किचन) से हम संपर्क में हैं, जो शुरू में 1500-2000 लोगों को खाना दे रहीं थीं, अब 3000-5000 लोगों की खाने की मांग का सामना कर रही हैं। जबकि शुरुआत में यह औद्योगिक क्षेत्रों में मुख्य रूप से प्रवासी श्रमिक को खाना दे रहीं थीं, अब ऐसे परिवार जो इन क्षेत्रों में स्थायी रूप से रहते हैं और दैनिक आय पर निर्भर हैं, वे भी भोजन की मांग करने लगे हैं
* जबकि इनमें से कुछ को स्थानीय उद्योगों द्वारा शुरू में समर्थन मिला था, जब सामुदायिक संगठन उन्हें चला रहे थे, “व्यापार न होने के कारण” यह समर्थन काफी हद तक बंद हो गया है

**अन्य मुद्दे जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है**

हमारे वॉलंटियर्स को फ़ोन कॉल द्वारा बताया गया कि कुछ लोगों को उनकी जाति के कारण विशेष रूप से भोजन नहीं मिल पा रहा है। एक मामले में, कॉल करने वाले ने अपनी जाति की पहचान "देवी पूजक" (तत्कालीन आपराधिक जनजातीय अधिनियम के तहत सूचीबद्ध) के रूप में की, जिसे आमतौर पर गुजरात में वाघरी के रूप में जाना जाता है और बताया कि उनके  उस क्षेत्र में केवल 11 घर हैं और उनके समाज के 6 घर हैं। जैसा कि उत्तरदाताओं द्वारा बताया गया है जो सामने के घरों में रहते हैं, वो खाना बाँटने वालों को उन तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। उनमें से एक ने हमें राशन देने के लिए पास के बीआरटीएस बस स्टेशन पर आने के लिए कहा। राशन लेने के लिए एक को साइकिल से लगभग 7 किमी दूर राशन की दुकान पर जाना पड़ा।

**सुझाव[[4]](#footnote-4)**

**खाने और राशन का प्रावधान**

* प्रवासी श्रमिकों के लिए और सांझी रसोई (कम्युनिटी किचन) तुरंत शुरू की जानी चाहिए। खाने के लिए ये श्रमिक मुख्य रूप से सड़क विक्रेताओं पर निर्भर थे जो अब सड़क पर नहीं हैं। इसके अलावा, वे बड़े पैमाने पर छोटे कार्यक्षेत्रों (फैक्ट्री या कार्यशाला) में फँसे हुए हैं, जो उनके रहने की जगह भी हैं। उनके पास न तो खाना पकाने के लिए साधन हैं और न ही जगह।
* इन साँझी रसोई (कम्युनिटी किचन) के प्रबंधन के लिए स्व-सहायता समूहों (SHG) के नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाना चाहिए (इसका एक अच्छा उदाहरण केरल का कुडुंबश्री मॉडल है)।
* श्रमिकों को स्कूल या कम्युनिटी हॉल जैसे अस्थायी आश्रयों में लाया जाना चाहिए, जिसमें दूरी (सोशल डिस्टेंस) बनाए रखने के लिए पर्याप्त जगह हो। ये सहायता, स्वास्थ्य और स्वच्छता की ज़रूरतों को पूरा करने में भी मदद कर सकते हैं।
* अस्थायी आश्रयों की अनुपस्थिति में, स्थानीय पुलिस और अन्य फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के सहयोग से इन श्रमिकों तक पहुंचने के लिए एक वितरण प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है।

**राशन पहुँचाने के लिए**

* प्रवासी श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का उपयोग करने के लिए उनके पास उपलब्ध किसी भी माध्यम से अपनी पहचान साबित करने की अनुमति दी जानी चाहिए और पहचान के लिए केवल विशिष्ट कार्ड की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।
* राशन वितरण के लिए आईडी कार्ड की जगह केवल अमिट स्याही मार्करों का उपयोग करने के विकल्प पर सक्रिय रूप से विचार किया जाना चाहिए। जैसा कि बताया गया है, अभी खाद्यान्नों की कोई कमी नहीं है: https://indianexpress.com/article/opinion/columns/coronavirus-lockdown-food-for-poor-migrants.mass-exodus-jean-dreze- 6353790
* सिविल सोसाइटी और NGO द्वारा भोजन का वितरण सराहनीय है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए यह ज़रूरतमंद तक पहुंच रहा है और उचित गुणवत्ता का है, पर्यवेक्षण और प्रबंधन की भी आवश्यकता है।

**अन्न ब्रह्म योजना के बारे में**

* जनता और विक्रेताओं को स्पष्ट एवं एक जैसे सन्देश दिए जाएँ, जिससे लोगों के बीच भ्रम न फैले।
* लाभार्थियों की पहचान, लाभ, पंजीकरण / आवेदन प्रक्रिया और लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया पर स्पष्ट दिशानिर्देश प्रसारित किए जाने चाहिए।
* जिन स्थानों पर फॉर्म उपलब्ध हैं, उनके पते और संपर्क विवरण की जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए।
1. यह नोट प्रोफेसर अंकुर सरीन ने शोधकर्ताओं की एक टीम के साथ IIM अहमदाबाद में तैयार किया है, हालाँकि ये अनिवार्य रूप से संस्थान के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करता। वॉलनटीयर्स कॉल के माध्यम से IIMA के सामुदायिक (कम्युनिटी) आउटरीच कार्यक्रमों से जुड़े काम आय वाले परिवारों तक पहुँचकर तालाबंदी के दौरान उनकी ज़रूरतों और परिस्थितियों का आँकलन कर रहे हैं, और उन्हें सहायता प्रदान करते हैं। अधिक जानकारी यहाँ से प्राप्त की जा सकती है: https://drive.google.com/file/d/13f\_hX\_FwUln0B9NOyf5s5LMrPIKfulry/view [↑](#footnote-ref-1)
2. सभी परिवारों से सभी प्रश्न नहीं पूछे जा सके हैं, इसलिए सैंपल साइज़ कुछ मामलों में अलग है। [↑](#footnote-ref-2)
3. परिवारों को रैंडम/कोई पूर्व निर्धारित क्रम के बिना कॉल किया जा रहा है और दोनों सर्वेक्षण अवधि में सर्वेक्षित परिवारों के व्यवसाय लगभग समान हैं। कम से कम एक बच्चे के सरकारी स्कूलों या आंगनवाड़ियों (दोनों दौर में लगभग 50%) में भर्ती होने वाले परिवारों के समान हिस्से से भी यह पता चलता है। हालांकि, हमारे पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि बाद में सर्वेक्षण किए गए परिवार पहले सर्वेक्षित परिवारों से ज़्यादा अलग हैं। [↑](#footnote-ref-3)
4. हमने यहाँ पिछले नोट में दिए गए कुछ सुझावों को दोहराया है। [↑](#footnote-ref-4)